

निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 24/अपील,/18

बाला आ0 प्रभू जाति नाई नि0 रोशनबाड़ी तहसील पिड़ावा(अपीलान्त)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा

(रेस्प0)

अपील बनाराजी निर्णय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 21.11.2017 मिसल न0 890/17

उपस्थित:- श्री विरेन्द्र सिंह सोनगरा अभिभाषक अपीलान्त  
पेरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 22.05.2018

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 21.11.2017 जो मिसल न0 890/17 पर दिया गया जिसमें अपीलान्तस को ग्राम रोशनबाड़ी की आराजी ख0न0 62 व 245 की 01 बीघा का अतिक्रमी मानकर 65/-रु. शास्ती व 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वथा विरुद्ध व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। रिपोर्ट पटवारी दुर्भावनावश गलत दी गई है अपीलान्त का किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी के तौर पर कब्जा नहीं रहा है कब्जा पूर्व में छोड़ चुका है। दौराने ट्रायल अधीनस्थ न्यायालय में कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं ली गई है निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है और ना ही उसके द्वारा आराजी पर फसल काश्त की गई है, अपीलान्त द्वारा आराजी पर से कब्जा हटा लिया गया है व पेनेल्टी की राशि भी जमा राज करवादी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा सरकारी किस्म बीड प्रथम पर अतिक्रमण किया गया है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 949/16 निर्णय दिनांक 16.11.2016 से अपीलान्त को उक्त आराजी पर से बेदखल किया जाकर 65/- रु. की शास्ती से दण्डित किया गया था जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किया गया है। अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है जिसकी पुष्टी अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न रिपोर्ट पटवारी से होती है। अपीलान्त का यह कृत्य पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन द्वारा पारित निर्णय में हम किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से किसी तरह का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलक्टर  
झालावाड़